भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

Office Order No. 25 of 2025

Sub.: Revised work allocation in LM(L) & LM(B) Branch under L&A Dte., NFR Dte. and SD-I Branch under Gati Shakti Dte.

In slight modification to the **Office Order No. 02 of 2022**, it has been decided that following subject would be dealt by respective Branches/Dte.:

Item No.	Subject	Trasferred to Branch/Dte.
24 (Annex-I)	All the issues/matters related to construction of MFC by RLDA at Zonal railways.	**LM(L) Branch** under L&A directorate.
10(b) (Annex-II)	Construction/Erection of statues of National Leaders, Portraits, Plaques in Railway establishments and in Railway Premises.	**LM(B) branch** under L&A Directorate
10 (Annex-III)	Matters related to operation, revenue generation, maintenance of MFCs of Zonal Railways (excluding those where operation and maintenance is being handled by RLDA).	**NFR Dte.**

2. The revised subject list of LM(L) & LM(B) Branch under L&A Dte., NFR Dte. and SD-I Branch under Gati Shakti Dte. are enclosed as Annexure- **I, II, III and IV**.

3. The above issues with the approval of the competent Authority.

No.2022/O&M/7/23
Dated: 26.03.2025

(T.Srinivas)
Joint Secretary/Railway Board
Email id: t.srinivas1@gov.in
Tele No.: 011-47845551

All Officers and Branches in Board's Office, COFMOW Building and at Dayabasti, New Delhi

Copy for information to:-
AM/L&A, AM/M&BD, PED/GS, ED/L&A, ED/TC(G), ED/GS(SD&T)

Copy to:-
EDPG/MR, EDPG/MoSR(R), JDPG MoSR(S)

Annexure-I

Land & Amenities Directorate(L&A Dte.)

LM(L)

1. Commercial utilisation of railway land/air space and issues related to RLDA.

2. **Commercial Farming alongside railway tracks.** *(Office Order No. 36 of 2018)*

2. Policy relating to acquisition of Railway land.

3. Transfer/relinquishment of Railway land.

4. Nodal Dte. for Leasing and licensing of Railway land – Fixation of norms, rates etc. (All proposals on MOU/agreements/policies containing railway land/building issues should be routed through L&A Dte for comments).

5. Leasing/licensing of land to schools/staff welfare organisations/religious institutions/Railway Mail Services etc.

6. Licensing of railway land for GMF.

7. Licensing of borrow pits for fishing.

8. Licensing of Collieries/mines.

9. Afforestation on railway land/Environment.

10. Earning from land resources.

11. Policy relating to renewable source of energy.

12. Act:-

    i) Land Acquisition Act.
    ii) Defence of India Act relating to Railway lands.
    iii) Delhi Master plans relating to Railway lands in Delhi.
    iv) Public Premises Eviction Act(Eviction of unauthorized occupation).

13 Encroachments on Railway land – prevention and removal

14. Certification/Maintenance of Land Plans.

15. **Way leave facilities/charges through Railway land.** *(Office Order No. 36 of 2018)*

16. National Policy on Resettlement & Rehabilitation.

17. **Provision of fencing/boundary wall to prevent encroachment and to deter littering on the Railway Land.** *(OO No. 36 of 2019)*

18. **Planning and Operation of Pay and Use Toilets in other areas (other than within station premises & its circulating area)like approach roads near LC gates etc.** *(Office Order No. 36 of 2018)*

19. Co-ordination work for all Parliamentary Committee.

20. NOC from Railway for construction on private land adjacent to Railway land.

21. Laying of oil pipelines (Crossing of pipelines, transmission lines etc.) (Office Order No. 48 of 2016)

22. Notifications for acquisition of land under RAA-2008 for plan heads 51, 52, 53, 64 and DFCCIL

23. Parliament Questions on above including Sukhi Griha Scheme, Pollution & Environmental impact, leasing of Real Estate assets, re-habilitation schemes, national rehabilitation and settlement policy.

24. All the issues/matters related to construction of MFC by RLDA at Zonal Railways. (**Vide O.O. No. 25 of 2025**)

****

Annexure-II

LM(B) Branch

1. (a) Construction of Service Buildings, Hospitals, Schools, Clubs, Institutes, Community Halls, Holiday Homes, Rest Houses, *Barracks, roads (other than station approach roads),* Hostels, Parks, Stadium and Cinema Halls on Railways.

   (b) Construction and Maintenance of Staff Quarters, Officers' Bungalow/Flats, fittings and acquisition of land thereof.

   (c) Licensing of surplus service building to Welfare Organisations.

2. (a) Policy on water Supply.

   (b) Civil Engineering Works relating to sanitation in Railway Quarters/colonies.

   (c) Framing of policies/Programmes/Initiatives and monitoring of implementation on matters relating to water conservation including rain water harvesting, water recycling plants and water audits. *(OO No. 105 of 2018)*

3. (a) Hiring of private houses/flats for residential use of Officers.

   (b) Licensing/Leasing/Transfer of surplus railway quarters for welfare purposes.

4. Indian Railway Welfare Organisation (IRWO) – Organisational set up, policy and assistance to its activities (Appointment of Senior Officers of IRWO)
5. Works Programme for Plan Head "Staff Quarters".
6. Railway Mining Safety Wing.
7. Provision of water supply in Railway Establishments (excluding stations)
8. Quarrying operation.

9. Permission for additions/alterations to Railway Buildings used as Temples, Churches, Mosques at present.

10.
   (a) Policy on construction/erection of statues of National Leaders in Railway premises, portraits and plaques.

   (b) Construction/Erection of statues of National Leaders, Portraits, Plaques in Railway establishments and **in Railway Premises**. (**vide O.O. No. 25 of 2025**)

11. Provision of safety measures in high rise building at construction stage.

12. Deposit works Rail Mail Service Buildings at construction stage.

13. Parliamentary Work and Annual Works Programme in connection with the above subjects under Plan Head "Staff Amenities" and "Other Specified Works"

14. New Zones/New Divisions – Execution portion.

15. Works Standard Committee – All matters related thereto.

16. Building materials – Policy regarding economy in use and cost.

17. CIDC/IBC – Correspondence related to.

18. Construction/raising/planning of boundary wall to prevent accident on track or similar issues etc.

****

Annexure-III

Non-Fare Revenue(NFR)

(Revised vide OO No. 36 of 2018)

1. Advertisement at Stations;

2. Advertisement in coaches (both inside/outside) and on locos;

3. Advertisement through hoardings on land alongside tracks and on land near railway stations;

4. Parking of vehicles in railway land other than at stations;

5. Advertisements on wagons, FOBs, ROBs, RUBs, Railway buildings, Loco Sheds, Production Units, Structures on Railway premises (like water tanks, microwave towers, OHE masts etc);

6. Onboard (trains) and off-board (Stations) entertainment, magazines on trains, displays at Railway premises including stations (LED screens Video walls, Tran slides etc);

7. Sponsorships of activities and events at stations, branding etc;

8. Radio, Video, Internet, Wi-Fi, Mobile Apps, Interactive services (like video games etc) in railway premises including stations;

9. To provide innovative suggestions ideas and inputs related to Tourism and Tourist trains for increasing revenue which will be taken up by TC&NFR Directorate for suitable implementation in consultation with IRCTC and State Tourism Departments.

10. Matters related to operation, revenue generation, maintenance of MFCs of Zonal Railways (excluding those where operation and maintenance is being handled by RLDA). (**Vide O.O. No. 25 Of 2025**)

****

Annexure-IV

GS/SD-I Branch

(Earlier STATION DEVELOPMENT-I Branch/ LM/PA)

1. Passenger Amenities – Provision of Minimum Essential Amenities/basic amenities* at stations (see note below).

2. Annual Works Programme for PH-53, Passenger Amenity Works.

2.A All matters related to Sanctioning individual works against Umbrella Work under PH-53 related to Major Upgradation of Railway Stations. Parliament work including Parliament/Consultative committee, VIP references and RTIs on the above subject. **(OO No. 02 of 2022)**

3. Details of amenities at stations as maintained through PAMS (Passenger Amenity Management System).

4. Execution and progress of other sanctioned Passenger Amenities' work.

5. Provision of facilities for persons with disabilities, etc.

6. Extension/Raising levels of platforms, which do not involve Yard remodeling in respect of execution of sanctioned Passenger Amenities work.

7. Provision/Extension of cover over platforms in respect of execution of sanctioned Passenger Amenities work.

8. Renovation/Remodeling of Station Building in respect of execution of sanctioned Passenger Amenities work.

9. Provision/Extension of foot over bridges at stations/platforms for bonafide passengers in respect of execution of sanctioned Passenger Amenities work.

10. Development of circulating area within the station premises in respect of execution of sanctioned Passenger Amenities work.

11. Provision waiting hall/rooms in respect of execution of sanctioned Passenger Amenities work.

12. Approach road-Construction/maintenance of station approach roads within the Railway premises.

13. Provision of water supply in Railway stations.

14. Planting of shady trees on platforms.

15. Beautification of stations by planting ornamental trees, foliage etc.

16. CA-iii references relating to the above.

17. All issues related to the sale/availability of sanitary napkins through sanitary napkin vending machine on Railways.(OO No.44 of 2018)

18. Installation and Erection of Monumental Flag at Stations.

19. Parliament Questions on the above.

***Note:** The term basic amenities/infrastructural facilities at station in any reference/Question shall be dealt with as under:-

a. If the issue raised is regarding lack of basic amenities/infrastructural facilities without making reference to any specific amenities, the same shall be dealt with by **L&A Dte.**

b. If the issue raised regarding basic amenities/infrastructural facilities is qualified by provision of specific amenities like lifts/escalators, foot over bridges etc, the same shall be dealt with by **Traffic Commercial Dte.**

(MFC and Construction/erection of statues related subject transferred vide O.O. No. 25 of 2025)

*****

भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड/Railway Board

<u>2025 का कार्यालय आदेश संख्या 25</u>

विषयः भूमि एवं सुविधाएं निदेशालय, गैर-किराया निदेशालय के अंतर्गत भूमि प्रबंध (भूमि) एवं भूमि प्रबंध (भवन) शाखा और गति शक्ति निदेशालय के अंतर्गत स्टेशन विकास-I शाखा में संशोधित कार्य आवंटन।

2022 के कार्यालय आदेश संख्या 02 में आंशिक आशोधन करते हुए, यह विनिश्चय किया गया है कि निम्नलिखित विषय संबंधित शाखाओं/निदेशालय द्वारा देखे जाएंगेः

मद संख्या	विषय	**शाखा/निदेशालय को स्थानांतरित**
24 (अनुलग्नक-I)	क्षेत्रीय रेलों पर रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा बहु-कार्यात्मक परिसर के निर्माण से संबंधित सभी मुद्दे/मामले	भूमि एवं सुविधाएं निदेशालय के अंतर्गत भूमि प्रबंध (भूमि) शाखा।
10 (ख) (अनुलग्नक-II)	रेल प्रतिष्ठानों और रेल परिसर में राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों, चित्रों, पट्टिकाओं का निर्माण/स्थापित करना।	भूमि एवं सुविधाएं निदेशालय के अंतर्गत **भूमि प्रबंध (भवन) शाखा**
10 (अनुलग्नक-III)	क्षेत्रीय रेलों के बहु-कार्यात्मक परिसरों का परिचालन, राजस्व अर्जन, अनुरक्षण से संबंधित मामले (उन स्थानों को छोड़कर जिनका परिचालन और अनुरक्षण रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है) ।	**गैर-किराया निदेशालय**

2. भूमि एवं सुविधाएं निदेशालय के अंतर्गत भूमि प्रबंध (भूमि) और भूमि प्रबंध (भवन), गैर-किराया निदेशालय और गति शक्ति निदेशालय के अंतर्गत स्टेशन विकास-I शाखा की संशोधित विषय सूची अनुलग्नक-**I, II, III और IV** के रूप में संलग्न है।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(टी.श्रीनिवास)
संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड
ईमेल आईडीः<u>t.srinivas1@gov.in</u>
टेलिफोन नं. 011-47845551

सं. 2022/ओएंडएम/7/23
दिनांकः 26.03.2025

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग और दयाबस्ती, नई दिल्ली स्थित कार्यालय के सभी अधिकारी एवं शाखाएं।

प्रतिलिपि प्रेषितः

अपर सदस्य/भूमि एवं सुविधाएं, अपर सदस्य/विपणन एवं व्यवसाय विकास, प्रधान कार्यपालक निदेशक/गति शक्ति, कार्यपालक निदेशक/भूमि एवं सुविधाएं, कार्यपालक निदेशक/ यातायात वाणिज्य (सा.), कार्यपालक निदेशक गति शक्ति (एसडीएडंटी)

प्रतिलिपिः

कार्यापालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (आर), संयुक्त निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (एस)

<u>अनुलग्नक-I</u>

भूमि एवं सुविधाएं निदेशालय

भूमि प्रबंध (भूमि)

1. रेल भूमि/नभ क्षेत्र की वाणिज्यिक उपयोगिता और रेल भूमि विकास प्राधिकरण से संबंधित मुद्दे।

2. **रेल पटरी के साथ-साथ उपलब्घ भूमि पर वाणिज्यिक कृषि** (2018 का कार्यालय आदेश 36)

2.A रेल भूमि अधिग्रहण संबंधी नीति।

3. रेल भूमि का स्थानांतरण/छोड़ना।

4. रेल भूमि को पट्टा और लाइसेंस पर देने के लिए नोडल निदेशालय - मानदंडों, दरों इत्यादि का निर्धारण (समझौता ज्ञापन/करार/नीतियां/जिनमें रेल भूमि/भवन शामिल है से संबंधित मुद्दों को टिप्पणियों के लिए भूमि और सुविधाएं निदेशालय के माध्यम से भेजा जाना चाहिए) ।

5. विद्यालयों/कर्मचारी कल्याण संगठनों/धार्मिक संस्थानों/रेल डाक सेवा इत्यादि के लिए भूमि पट्टे/लाइसेंस पर देना।

6. 'अधिक अन्न उपजाओ' के लिए रेल भूमि लाइसेंस प्रदान करना।

7. मत्स्यपालन के लिए पिट को लाइसेंस प्रदान करना।

8. कोयला खादानों/खदानों के लिए लाइसेंस प्रदान करना।

9. रेल भूमि पर वृक्षारोपण/पर्यावरण।

10. भूसंसाधनों से आमदनी।

11. ऊर्जा के नवीकरण स्रोत संबंधी नीति।

12. अधिनियमः
    i) भूमि अधिग्रहण अधिनियम।
    ii) रेल भूमि से संबंधित भारत रक्षा अधिनियम।
    iii) दिल्ली में रेल भूमि के संबंध में दिल्ली मास्टर प्लान।
    iv) सरकारी स्थान बेदखली अधिनियम (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली)

13. रेल भूमि पर अतिक्रमण - इनकी रोकथाम और इनको हटाना।

14. भूमि नक्शों का प्रमाणन/रखरखाव।

15. **रेल भूमि में मार्गाधिकार की सुविधाएं/प्रभार** (2018 का कार्यालय आदेश संख्या 36)

16. पुनर्स्थापन और पुनर्वास पर राष्ट्रीय नीति।

17. रेलवे भूमि पर अतिक्रमण को रोकने और कचरा फैलाने से रोकने के लिए बाड़/बाउंडरी वाल की व्यवस्था।

18. **अन्य क्षेत्रों में पे एंड यूज शौचालयों के लिए योजना और संचालन (स्टेशन परिसर एवं इसके परिचलन क्षेत्र को छोड़कर) जैसे रेल फाटकों के निकट पहुंच मार्ग इत्यादि।**(2018 का कार्यालय आदेश संख्या 36)

19. सभी संसदीय समितियों के लिए समन्वय कार्य।

20. रेल भूमि से सटी निजी भूमि पर निर्माण के लिए रेलवे से अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

21. तेल पाइपलाइनों को बिछाना (पाइपलाइनों, पारगमन लाइनों की क्रॉसिंग हस्तांतरण इत्यादि) (2016 का कार्यालय आदेश संख्या 48)।

22. योजना शीर्ष 51, 52, 53, 64 और डीएफसीसीआईएल के लिए रेलवे संशोधन अधिनियम - 2008 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी करना।

23. सुखी गृह स्कीम, प्रदूषण एवं पर्यावरण प्रभाव, रियल एस्टेट प्रतिभूतियों को पट्टे पर देना, पुनर्वास योजनाएं, राष्ट्रीय पुनर्वास और निपटान नीति सहित उपर्युक्त पर संसदीय प्रश्न।

24. क्षेत्रीय रेलों पर रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा बहु-कार्यात्मक परिसर के निर्माण से संबंधित सभी मुद्दे/मामले। **(2025 के कार्यालय आदेश 25 के अनुसार)**

****

अनुलग्नक-II

भूमि प्रबंध (भवन) शाखा

1. (क) रेलों पर सेवा भवनों, अस्पतालों, विद्यालयों, क्लबों, संस्थानों, समुदायिक हाल, होलिडे होम, रेस्ट हाऊस, बैरकों, सड़कों (स्टेशन पहुंच मार्ग को छोड़कर), हॉस्टल, पार्क, स्टेडियम और सिनेमा हॉल का निर्माण।

   (ख) कर्मचारी क्वार्टरों, अधिकारी बंगलों/फ्लैटों का निर्माण और अनुरक्षण, फिटिंग और तत्संबंधी भूमि अधिग्रहण।

   (ग) अतिरिक्त सेवा भवनों को कल्याण संगठनों को लाइसेंस देना।

2. (क) जल आपूर्ति संबंधी नीति।

   (ख) रेलवे क्वाटरों/कॉलोनियों में स्वच्छता संबंधी सिविल इंजीनियरी कार्य।

   (ग) वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण संयंत्रों और वाटर ऑडिट सहित जल संरक्षण से संबंधित शामिल हैं से संबधित मुद्दों पर नीति निर्माण/कार्यक्रमों/पहलों और कार्यान्वयन निगरानी (2018 का कार्यालय आदेश संख्या 105)

3. (क) अधिकारियों के आवासीय उपयोग हेतु निजी घरों/फ्लैटों को किराए पर लेना।

   (ख) कल्याणार्थ प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त रेलवे क्वाटरों का लाइसेंस/पट्टा/हस्तांतरण।

4. भारतीय रेल कल्याण संगठन (इरवो) - संगठनात्मक ढांचा, नीति और इसके लिए कार्यकलापों के लिए सहायता (इरवो के वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति करना)

5. योजना शीर्ष “कर्मचारी क्वार्टर” के संबंध में निर्माण कार्यक्रम।

6. रेलवे खनन संरक्षा स्कंध।

7. रेलवे संस्थानों में (स्टेशनों को छोड़कर) जल आपूर्ति की व्यवस्था करना।

8. उत्खनन परिचालन।

9. मौजुदा मंदिर, गिरजाघरों, मस्जिदों को रूप में प्रयुक्त रेलवे इमारतों में परिवर्धन/परिवर्तन की अनुमति।

10. (क) रेल परिसरों में राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों, चित्रों और पट्टिकाओं का निर्माण/संस्थापना के संबंध में नीति।

(ख) रेल परिसरों और रेल संस्थानों में राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों, चित्रों और पट्टिकाओं का निर्माण/संस्थापना। (2025 का कार्यालय आदेश संख्या 25 के अनुसार)

11. निर्माण के दौरान ऊंची इमारतों में संरक्षा उपायों की व्यवस्था।

12. निक्षेप कार्य, निर्माण के दौरान रेल मेल सेवा इमारतें।

13. योजना शीर्ष 'कर्मचारी सुविधाएं' और 'अन्य विनिर्दिष्ट कार्य' के अंतर्गत उपर्युक्त विषयों पर संसदीय और वार्षिक कार्य।

14. नए जोन/नए मंडल-निष्पादन अंश।

15. निर्माण मानक समिति- उससे संबंधित सभी मामले।

16. इमारत सामग्रियां उपयोग में किफायत और लागत संबंधी नीति।

17. सीआईडीसी/आईबीसी- इनसे संबंधित पत्राचार।

18. रेलपथ पर दुर्घटना या इसी तरह के मामलों को रोकने के लिए चाहारदीवारी का निर्माण/उन्नयन/योजना बनाना आदि।

****

अनुलग्नक-III

गैर किराया राजस्व (एनएफआर)

(2018 के कार्यालय आदेश 36 के द्वारा संशोधित)

1. स्टेशनों पर विज्ञापन
2. सवारी डिब्बों (भीतर/बाहर दोनों जगह) और इंजनों पर विज्ञापन
3. रेलपथ के आस-पास की भूमि और रेलवे स्टेशनों के निकट भूमि पर होर्डिंगों पर विज्ञापन
4. स्टेशनों से इतर रेल भूमि पर वाहनों की पार्किंग
5. मालडिब्बों, पैदल पार पुलों, ऊपरि/निचले रेल पुल, रेल भवनों, लोको शेडों, उत्पादन इकाइयों, रेल परिसरों पर संरचनाओं (जैसे वाटर टैंक, माइक्रोवेव टॉवर, ओएचई मास्ट आदि) पर विज्ञापन
6. ऑनबोर्ड (गाड़ियों) और ऑफ-बोर्ड (स्टेशनों) मनोरंजन, गाड़ियों पर पत्रिकाएं, स्टेशनों सहित रेल परिसरों पर डिस्पले (एलईडी स्क्रीन, वीडिया वॉल, ट्रान्स स्लाइड्स आदि)
7. स्टेशनों पर गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की स्पांसरशिप, ब्रांडिंग आदि
8. स्टेशनों सहित रेल परिसरों पर रेडियो, वीडियो, इंटरनेट, वाई-फाई, मोबाइल एप, इंटरएक्टिव सेवाएं (जैसे वीडियो गेम आदि)
9. राजस्व बढ़ाने के लिए पर्यटन एवं पर्यटक गाड़ियों से संबंधित नूतन सुझावों, विचारों एवं इनपुट मुहैया कराना, जिसे आईआरसीटीसी और राज्य पर्यटन विभागों के परामर्श से यथोचित कार्यान्वयन के लिए टीसी एंड एनएफआर निदेशालय द्वारा देखा जाएगा।
10. क्षेत्रीय रेलवे के एमएफसी के संचालन, राजस्व सृजन, रखरखाव से संबंधित मामले (उन मामलों को छोड़कर जहां संचालन और रखरखाव आरएलडीए द्वारा किया जा रहा है)। **(2025 के कार्यालय आदेश 25 के अनुसार)**

****

(गति शक्ति/स्टेशन विकास-I शाखा (पूर्ववर्ती स्टेशन विकास-I शाखा/एलएम/पीए)

1. यात्री सुविधाएं- स्टेशनों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं/आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान (निम्नलिखित नोट देखें)

2. योजना शीर्ष-33, यात्री कार्यों के लिए वार्षिक निर्माण कार्यक्रम, यात्री सुविधा कार्य

2.(क) रेलवे स्टेशनों के वृहद उन्नयन से संबंधित योजना शीर्ष-33 के अंतर्गत समेकित कार्य में अलग-अलग कार्यों को स्वीकृति देने से संबंधित सभी मामले। संसद/परामर्शदात्री समिति, वीआईपी संदर्भ और उपरोक्त विषय पर आरटीआई सहित संसदीय कार्य। (2022 कार्यालय आदेश संख्या 02)

3. पीएएमएस (यात्री सुविधा प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से स्टेशनों पर सुविधाओं का विवरण।

4. अन्य स्वीकृत यात्री सुविधा कार्यों का निष्पादन और प्रगति।

5. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाओं का प्रावधान आदि।

6. स्वीकृत यात्री सुविधा कार्य के निष्पादन के संबंध में प्लेटफॉर्मों का विस्तार/ऊंचाई बढ़ाना, जिसमें यार्ड के ढांचे में परिवर्तन शामिल नहीं है।

7. स्वीकृत यात्री सुविधा कार्य के निष्पादन के संबंध में प्लेटफॉर्म सायबान की व्यवस्था/विस्तार।

8. स्वीकृत यात्री सुविधा कार्य के निष्पादन के संबंध में स्टेशन भवन का नवीकरण/ढांचे में परिवर्तन।

9. स्वीकृत यात्री सुविधा कार्य के निष्पादन के संबंध में सदाशयी यात्रियों के लिए स्टेशनों/ प्लेटफॉर्मों पर पैदल पार पुल का प्रावधान/विस्तार।

10. स्वीकृत यात्री सुविधा कार्य के निष्पादन के संबंध में स्टेशन परिसरों के भीतर परिचलन क्षेत्र का विकास।

11. स्वीकृत यात्री सुविधा कार्य के निष्पादन के संबंध में प्रतीक्षालयों/कक्षों का प्रावधान ।

12. पहुंच मार्ग- रेल परिसरों के भीतर स्टेशन पहुंच मार्गों का निर्माण/अनुरक्षण।

13. स्टेशन परिसरों में जल आपूर्ति की व्यवस्था।

14. प्लेटफॉर्मों पर छायादार वृक्षों का रोपण।

15. सुंदर, पत्तेदार वृक्षों के रोपण आदि द्वारा स्टेशनों का सौंदर्यकरण।

16. उपरोक्त से संबंधित CA-iii संदर्भ।

17. रेलों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन की बिक्री/उपलब्धता से संबंधित सभी मामले। (2018 का कार्यालय आदेश संख्या 44)

18. स्टेशन पर स्मारकीय ध्वज की स्थापना और स्थापित किया जाना।

19. उपरोक्त विषय पर संसद के प्रश्न।

नोटः किसी भी संदर्भ/प्रश्न में स्टेशनों पर आधारभूत सुविधाओं/अवसंरचना से संबंधित मामले को निम्नानुसार निपटाया जाएगा:

(क) यदि उठाया गया मुद्दा किसी विशिष्ट सुविधाओं का संदर्भ दिए बिना आधारभूत सुविधाओं/अवसंरचनात्मक ढांचों की कमी के बारे में है, तो इसे भूमि एवं सुविधाएं निदेशालय द्वारा निपटाया जाएगा।

(ख) यदि आधारभूत सुविधाओं/अवसंरचनात्मक ढांचों के बारे में उठाया गया मुद्दा जो लिफ्टों/एस्केलेटरों/ ऊपरी पैदल पुलों आदि जैसी विशिष्ट सुविधाओं के प्रावधान से संबंधित है, तो उसे यातायात वाणिज्यिक निदेशालय द्वारा निपटाया जाएगा।

(एमएफसी और मूर्तियों के निर्माण/स्थापना से संबंधित विषय को कार्यालय आदेश संख्या 25/2025 के तहत स्थानांतरित किया गया है)

****